न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 87/2022 बउनवानी सतीशचन्द मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कले. वजीरपुर
निवासी–184 अशोक बिहार गोल्डन डॉम के पास जगतपुरा, जयपुर 302017

GCMS No-2022/155

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.9.2022	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 11.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. प्रशासन गांवो के संग अभियान,2021 आयोजित किये जाने हेतु राजस्थान सरकार के प्रशासनिक आदेशो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी जावे।
2. प्रशासन गांवो के संग अभियान,2021 के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय पीलोदा पर आयोजित किये जाने वाले शिविर मे राजस्व विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो के आदेशों की प्रति उपलब्ध करावे।
3. दिनांक 20.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पीलोदा पर आयोजित प्रशासन गांवो के संग शिविर,2021 मे श्रीमान शिविर प्रभारी महोदय को प्रस्तुत आवेदन जो कि शिविर प्रभारी कार्यालय के पत्र प्राप्ति रजिस्टर के पत्र प्राप्ति कमांक 5 दिनांक 20.10.2021 द्वारा प्राप्त आवेदन पर आपके कार्यालय द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही की प्रमाणित विविरण उपलब्ध करावे।
4. दिनांक 20.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पीलोदा पर आयोजित प्रशासन गांवो के संग शिविर,2021 मे श्रीमान शिविर प्रभारी महोदय को प्रस्तुत आवेदन जो शिविर प्रभारी कार्यालय के पत्र प्राप्ति रजिस्टर के पत्र प्राप्ति कमांक 6 दिनांक 20.10.2021 द्वारा प्राप्त आवेदन पर आपके कार्यालय द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही की प्रमाणित विवरण उपलब्ध करवावे।
5. भूमि खाता काश्तकार मे विभाजन होने पर उस खाता की तकासमा करवाये जाने की प्रकिया की सूचना का विवरण उपलब्ध कराया जावे।
6. उक्त आवेदन पर श्रीमान तहसीलदार वजीरपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट या की गयी अन्य कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ/2022/881–882 दिनांक 20.9.2022 से अवगत कराया कि उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के पत्रांक/सू.का.अ./2022/880 दिनांक 20.9.2022 के द्वारा अपीलान्ट को बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त [illegible] निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 11.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के पत्रांक 880 दिनांक 20.9.2022 से बिन्दुवार उपलब्ध करवायी जा चुकी है ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:34:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर